निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1941 (श0)

(सं0 पटना 648) पटना, मंगलवार, 4 जून 2019

सं०-6 एस०एस०(6)06/2019-1464

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

29 मई 2019

विषय :- बिहार राज्य पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों यथा- जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा कार्यों एवं शक्तियों का प्रतिनिधायन।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् अधिनियमित बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 22, 45 एवं 71 तथा अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों यथा- जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निम्न प्रकार से कार्यों एवं शक्तियों के प्रतिनिधायन का निर्णय लिया गया है :-

1. जिला परिषद् का कार्य/शक्ति

i निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण जिला परिषद् के द्वारा किया जायेगा।

(क) पशु चिकित्सा।
(ख) चारा एवं खाद्य विकास योजना।
(ग) समग्र गव्य विकास की योजना।
(घ) प्रशिक्षण की योजना।
(ड) तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना।
(च) मत्स्य फसल बीमा योजना।
(छ) मन/चौर विकास की योजना।
(ज) समेकित बकरी विकास की योजना।

जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को सौपे गये कार्यों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेगी तथा आवश्यक निदेश दे सकेगी।

निम्न पदाधिकारियों को उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के अनुमोदन से आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे तथा ये पदाधिकारी जिला परिषद् द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेंगे :-

(क) जिला पशुपालन पदाधिकारी।
(ख) जिला गव्य विकास पदाधिकारी।
(ग) जिला मत्स्य विकास पदाधिकारी।
(घ) राज्य मुख्यालय स्थित वृहद पशु विकास परियोजना (पशु विकास) फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन को छोड़ कर शेष प्रक्षेत्रों के जिलास्तरीय पदाधिकारी।

विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

2. पंचायत समिति का कार्य/शक्ति

i पंचायत समिति निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन तथा योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी।

(क) पशु औषधालय की योजना।
(ख) पशु प्रजनन की योजना।
(ग) पशु टीकाकरण की योजना।
(घ) प्रशिक्षण की योजना।

पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को सौपे गये कार्यों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेगी तथा आवश्यक निदेश दे सकेगी।

पंचायत समिति के प्रमुख के अनुमोदन से प्रखण्ड़ विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा निम्न पदाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं वे पंचायत समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेंगे-

(क) प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी।
(ख) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी।
(ग) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।

विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

3. ग्राम पंचायत का कार्य एवं शक्ति

I ग्राम पंचायत निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का प्रवेक्षण करेगी

(क) पशु विकास की योजना।
(ख) खुरहा-चपका रोग नियंत्रण।
(ग) पशुपालकों, मत्स्य कृषकों एवं गव्य पालकों को प्रशिक्षण हेतु चयन।
(घ) पशुपालन केन्द्र तथा कृत्रिम गर्भाधान का रख-रखाव।
(ड) महामारी एवं छूत रोगों की रोकथाम।
(च) मृत पशुओं का निस्तारण।
(छ) परिसम्पत्तियों का रख-रखाव।
(ज) अनुदान के मुल्य पर दुधारू मवेशियों का वितरण।
(झ) मत्स्य फसल बीमा योजना।
(ञ) मन/चौर विकास।

ग्राम पंचायत के मुखिया के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित पशुधन साहयकों एवं अन्य कर्मियों का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति निर्गत की जायेगी। तथा उन्हें ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्गत अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर वेतन भुगतान उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु कर्मियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शक्तियों का प्रतिनिधायन एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र०	विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
1	नीतिगत कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।
2	कर्मी जो पंचायतों के अधीन सौंपे गये हैं।	ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों एवं पदाधिकारियों	पंचायत स्तर पर पदस्थापित कर्मियों/पदाधिकारियों	जिलास्तरीय पदाधिकारियों
3	कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
4	पर्यवेक्षकीय अधिकार।	ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।	पंचायत स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।	जिला स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।
5	वित्तीय अधिकार।	विभागीय पदाधिकारियों को।	विभागीय पदाधिकारियों को।	विभागीय पदाधिकारियों को।
6	अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें।	-	-	-

5. ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित लाभूकों की सूची पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद् की संस्तुती के उपरान्त जिलास्तरीय कार्यालयों को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

6. यह संकल्प पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-5697, दिनांक-25 सितम्बर, 2001 का स्थान ग्रहण करेगी।

7. संकल्प प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : **यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एन० विजयलक्ष्मी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 648-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in